राजस्थान सरकार

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

जी3/1 अम्बेडकर भवन राजमहल पैलेस के पीछे जयपुर

क्रमांकः–एफ15( ) सा.सु./ भिक्षा.नि./सान्याअवि/22/ 27365 जयपुर दिनांक 02/05/2022

**अभिरूचि की अभिव्यक्ति (Expression of Interest)**

राज्य में भिखारियों या निर्धन व्यक्तियों को समाज की मुख्यधारा में जोडने, उनको स्वावलम्बी एवं आत्मनिर्भर बनाने के दृष्टिकोण से भिक्षावृति में लिप्त व्यक्तियों का सर्वे स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से किया जाना है।

राज्य सरकार उक्त योजना में स्वयं सेवी संस्था की महत्वपूर्ण भूमिका के दृष्टिगत भिखारियों के कल्याण के क्षेत्र में कार्यरत/रूचि रखने वाली प्रतिष्ठित एवं आर्थिक दृष्टि से सुदृढ पंजीकृत स्वयं सेवी संस्थाओं/ट्रस्टों से शर्तों के साथ "अभिरूचि की अभिव्यक्ति" जारी कर प्रस्ताव आमन्त्रित करतें है। इच्छुक स्वयं सेवी संस्था/ट्रस्ट अपना आवेदन पत्र, **दिनांक 15 जून, 2022** तक संबंधित ज़िलें के जिला कार्यालय को प्रेषित कर सकेगें।

संबंधित जिलें के जिलाधिकारी द्वारा विभागीय क्रमांक 360, दिनांक 05.04.22 द्वारा जारी **"भिखारियों और निर्धन व्यक्तियों के सर्वेक्षण की रीति"** को दृष्टिगत रखते हुए उत्कृष्ट संस्थाओं के प्रस्ताव जिला स्तरीय समिति में उपयुक्त सक्षम स्वयं सेवी संस्थाओं का चयन किया जाकर स्वीकृति जारी की जा सकेगी।

अतिरिक्त जानकारी के लिए संबधित जिला कार्यालय में सम्पर्क एवं विभागीय वेब साईट sje.rajasthan.gov.in पर देखा जा सकता है।

**(ओ.पी. बुनकर)**

**निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव**

Scanned with CamScanner

क्रमांकः–एफ15( ) सा.सु./ भिक्षा.नि./सान्याअवि/22/ जयपुर दिनांक

**प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।**

1 निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, राज0 जयपुर को भेजकर लेख है कि उक्त अभिरूचि की अभिव्यक्ति को राज्य स्तर के दैनिक समाचार–पत्र मे प्रकाशन करावें।

2 निजी सचिव, शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर।

3 निजी सचिव, निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राज0 जयपुर।

4 उप/सहायक निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग,..........................को भेजकर लेख है कि उक्त अभिरूचि की अभिव्यक्ति (Expression of Interest) के अनुसार कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें।

5 सहायक निदेशक (प्रचार), मुख्यावास।

2/5/2022

अतिरिक्त निदेशक (सा.सु.)

Scanned with CamScanner

भीम

# राजस्थान सरकार
## सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

अम्बेडकर भवन, जी 3/1, राजमहल रेजीडेन्सी क्षेत्र, जयपुर

क्रमांक:–एफ15( )भिक्षा नि./सा0सु0/सान्याअवि/21–22/ 360 जयपुर, दिनांक 05/07/22

**भिखारियों और निर्धन व्यक्तियों के सर्वेक्षण की रीति**

राजस्थान भिखारियों या निर्धन व्यक्तियों का पुनर्वास नियम, 2020 की बिन्दु संख्या 19. भिखारियों और निर्धन व्यक्तियों के सर्वेक्षण की रीति के क्रम में निम्न दिशा–निर्देश जारी कियें जाते है:–

1. **सर्वेक्षण करने वाली संस्थाओं की चयन प्रकिया:**– राजस्थान भिखारियों या निर्धन व्यक्तियों का पुनर्वास नियम, 2020 के बिन्दु संख्या 22 की अनुपालना में प्रशासनिक सुधार (अनु.–3), विभाग के क्रमांक प.6(17)प्र.सु./अनु.–3/2021, दिनांक 22.07.2021 द्वारा जिला स्तरीय **समिति का गठन** का आदेश के क्रम में जिला कलक्टर, द्वारा गठित जिला स्तरीय समिति द्वारा किया जायेगा।

2. **स्वयंसेवी संस्थाओं के चयन हेतु मापदण्ड निम्नानुसार होगें:**–

(i) संगठन के संविधान की एक प्रति;

(ii) संगठन के प्रबंध बोर्ड/शासी निकाय इत्यादि का नाम और पूर्ण विशिष्टियां;

(iii) संगठन की नवीनतम उपलब्ध वार्षिक रिपोर्ट;

(iv) अन्य निकाय जैसे केन्द्रीय या राज्य सरकार के विभागों, स्थानीय निकायों इत्यादि से प्राप्त, वचनबद्ध अनुदानों को सम्मिलित करते हुए वर्ष जिससे आवेदन संबंधित है की अनुमानित आय और व्यय को दर्शित करने वाला एक विस्तृत बजट;

(v) संगठन /संस्था के लेखों का किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट/सरकारी संपरीक्षक द्वारा पूर्ववर्ती वर्ष के लिए प्रमाणित सपरीक्षित कथन; और

(vi) विदेशी अभिदाय, यदि कोई हो, और पिछले तीन वर्ष के दौरान आस्तियों के ब्यौरे सम्मिलित करते हुए आय का स्रोत उपदर्शित करने वाला संक्षिप्त टिप्पणी। इस टिप्पणी में संगठन द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में किये गये क्रियाकलापों का ब्यौरा जिसमें प्रतिबंध और मादक द्रव्य दुरुपयोग के निवारण को सम्मिलित करते हुए आवरित क्षेत्र/स्थान और उपगत व्यय के बारे में ब्यौरा सम्मिलित हो, दिया जायेगा।

3. **सर्वेक्षण कार्यकम की अवधि:**– कार्यादेश से 01 माह तक निर्धारित प्रारूप में एवं 15 दिवस में संबंधित जिलें के उप/सहायक निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग को पुरुष/महिलाओं/परिवारों के सदस्यों की संख्या सहित विस्तृत रिपोर्ट प्रेषित करनी होगी।

Scanned with CamScanner

32

4. **सर्वेक्षण करने वाली संस्थाओं के प्रस्ताव आमंत्रणः–** दैनिक समाचार पत्रों अभिरूचि की अभिव्यक्ति (EOI) जारी कर प्रस्ताव आमंत्रित किये जायेगें।

5. **देय भुगतानः–** विभागीय आदेश क्रमांक 69776, दिनांक 06.12.2020 में नियत दरो से भुगतान किया जायेगा।

(ओ.पी. बुनकर)
निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव

क्रमांकः–एफ15( )भिक्षा.नि./सा0सु0/सान्याअवि/20–21/ 361–370 जयपुर दिनांक 05.07.2022

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. विशिष्ठ सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय राजस्थान सरकार ।
2. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री महोदय, सान्याअवि राज0 जयुपर।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, शासन सचिवालय राज0 जयपुर।
4. निजी सचिव, निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग राज0 जयपुर।
5. वित्तीय सलाहकार, मुख्यावास।
6. समस्त जिला कलक्टर।
7. समस्त कोषाधिकारी कोष कार्यालय।
8. संयुक्त निदेशक (आई.टी.) मुख्यावास को भेजकर लेख है कि विभागीय वेब–साईट पर अपलोड हेतु।
9. समस्त उपनिदेशक/सहायक निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग।
10. आदेश पत्रावली।

5/5/XXII

(डॉ. एस.एल. पहाडिया)
अतिरिक्त निदेशक (सा.सु.)

Scanned with CamScanner

33

भीख

# भिक्षावृति का सर्वे प्रपत्र

फोटो

1. व्यक्ति / महिला का नाम : ..............................................

2. माता का नाम : ..............................................

3. पिता का नाम : ..............................................

4. आयु .............................. 5. लिंग .............................. 6. जाति ..............................

7. स्थाई पता ..............................................................................................
..............................................................................................

8. परिवार का प्रकार
(अ) एकल (ब) संयुक्त (स) विभाजित (द) अन्य

9. परिवार के सदस्यों की जानकारी :

| क्र.सं. | नाम | आयु | लिंग | कार्य / भीख मांगना | संबंध | अन्य |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

10. रहने का स्थान :
(अ) स्वयं का (ब) किराये का (स) फूटपाथ / सडक (द) रेन बसेरा

11. शारीरिक दुर्बलता
(अ) विशेष योग्यजन (ब) दृष्टिबाधित (स) लकवाग्रस्त (द) अंग भिन्न
(य) टी.बी. (र) अन्य

12. शैक्षणिक योग्यता
(अ) अनपढ (ब) नामांकित (स) ड्रॉप आउट (द) 5 वीं पास
(य) 10 वीं पास (र) अन्य

13. व्यक्तिगत पहचान के दस्तावेज
(अ) राशन कार्ड (ब) मतदाता पहचान पत्र (स) आधार कार्ड (द) अन्य

Scanned with CamScanner

14. कितने वर्षो से इस व्यवसाय में सक्रिय है :– ..............................................................

15. इस व्यवसाय से प्रतिदिन आय :– ......................................................................................
...

16. भिक्षावृति प्राप्त राशि किसे देते हो:– ..........................................................................
..

17. भोजन व्यवस्था :– ..................................................................................................
...

18. साफ सफाई :– .......................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.......

19. किसी प्रकार का नशा करते है :–..........................................................................................
..

20. प्रतिदिन कितने घण्टे भीख मांगते है :– ....................................................................
...

21. भीख मांगने का क्या कारण है।
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.....

22. यदि काम/रोजगार दिया जाये तो क्या काम करना चाहेंगे:–
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
...

सर्वे कर्ता के हस्ताक्षर
नाम/पता/मोबाईल नं.

Scanned with CamScanner

# राजस्थान सरकार
## सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

अम्बेडकर भवन, जी 3/1, राजमहल रेजीडेन्सी क्षेत्र, जयपुर
ई–मेल ssraj.sje@Rajasthan.gov.In

क्रमांकः–एफ15( )भिक्षा.नि./सा0सु0/सान्याअवि/20–21/ 69776 जयपुर, दिनांक 06.12.2021

**आदेश**

भिखारियों या निर्धन व्यक्तियों को स्वावलम्बी एवं आत्मनिर्भर बनाने के दृष्टिकोण से प्रशिक्षण उपरान्त वैकल्पिक रोजगार उपलब्ध करवाकर पुनर्वासित कर समाज की मुख्य धारा में शामिल किया जा सकेगा। राजस्थान भिखारियों या निर्धन व्यक्तियों का पुनर्वास अधिनियम, 2012 की धारा 41 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार द्वारा राजस्थान भिखारियों या निर्धन व्यक्तियों का पुनर्वास नियम, 2020 की अधिसूचना जारी की जा चुकी है। उक्त नियमों के तहत् संचालित पुनर्वास गृह को देय अनुदान की दरें निम्नानुसार होगीः–

| क्र.सं. | देय सुविधा (Item) | देय राशि | पुनर्वास गृह की आवासीय क्षमता |
|---|---|---|---|
| 1. | Scale of accommodation, food and clothing.- Inmate admitted in the Rehabilitation Home, shall be supplied with clothes, beddings, utensils, soap, hair oil etc. as per the scale and climatic conditions. | 2500 रूपये प्रति व्यक्ति प्रति माह | 100 (न्यूनतम 25 आवासीय क्षमता) |
| | -10 percent of the institution's share | | |
| 2. | non-recurring items (New items, chair, table etc.) | प्रति पुनर्वास गृह के आवर्तक एवं अनावर्तक सामान के क्रय के लिए प्रति पॉच वर्ष के लिए 1.20 लाख रूपये देय। | |
| 3. | Expenses of State Advisory Board and other offices | कार्यालय व्यय एवं संवेतन | 51.90 लाख रूपयें वार्षिक |
| 4 | Survey and data computerization of beggars and indigents. | | 4.00 लाख रूपये प्रति जिला |
| 5. | Occupational Training, Material<br>Note:- कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम की अवधि एवं देय भुगतान राजस्थान कौशल वं आजीविका विकास निगम, जयपुर द्वारा गैर आवासीय प्रशिक्षण की दर (36 रूपये 30 पैसे प्रति घंटा प्रति प्रशिक्षाणार्थी) निर्धारण के आधार पर।<br>प्रशिक्षण माडयूल परिष्ठिः–1 के अनुसार होगा। | | 36.30X360 (90 दिवस/360 घण्टें)=13068 रूपयें |
| 6. | प्रचार–प्रसार | | 1.00 लाख रूपये प्रति जिला |
| 7. | पुनर्वास गृह का किराया | | 0.24 लाख रूपये प्रति माह प्रति पुनर्वास गृह |

संस्था/अन्य द्वारा अनुदान के लिए आवेदन–पत्र जिला कार्यालय को प्रस्तुत किया जायेगा। जिलाधिकारी द्वारा योजना के दिशा–निर्देश और सामान्य एवं वित्तीय लेखा नियमों के अनुसार अनुदान भुगतान हेतु बिल पारित कर निदेशालय को प्रस्तुत करेगा, निदेशालय द्वारा अनुदान बिल का भुगतान किया जायेगा।

(ओ.पी. बुनकर)
निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव

Scanned with CamScanner

क्रमांक:–एफ15( )भिक्षा.नि./सा0सु0/सान्याअवि/20–21/ 69777-86 जयपुर दिनांक 06.12.2021

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. विशिष्ठ सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय राजस्थान सरकार ।
2. विशिष्ठ सहायक, माननीय राज्यमंत्री महोदय, सान्याअवि राज0 जयपुर।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, शासन सचिवालय राज0 जयपुर।
4. निजी सचिव, निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग राज0 जयपुर।
5. वित्तीय सलाहकार, मुख्यावास।
6. समस्त जिला कलक्टर।
7. समस्त कोषाधिकारी कोष कार्यालय।
8. संयुक्त निदेशक (आई.टी.) मुख्यावास को भेजकर लेख है कि विभागीय वेब–साईट पर अपलोड हेतु।
9. समस्त उपनिदेशक/सहायक निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग।
10. आदेश पत्रावली।

6/XII/XXI

(डॉ. एस.एल. पहाडिया)

अतिरिक्त निदेशक (सा.सु.)

Scanned with CamScanner